Ref: VHPPL/MSHP-3/FOREST/2018/071 dated 11th May,2018.

VENIKA

To

The Additional Principal Chief Conservator of Forest & Nodal Officer,
FCA 1980, Aranya Bhavan,
Medical Collage Road,
Raipur, Chhattisgarh

Respected Sir,

Sub: Proposal No. : FP/CG/TRANS/33519/2018 allotment of Forest Land for 132 KV Transmission Line for Mahan SHP III

Ref: (1) First Stage NOC vide Letter 6-CHB178/2008-BHO/2936 dated 03rd Dec 2008.
(2) Second Stage NOC vide Letter 6-CHB178/2008-BHO/272 dated 9th Feb 2010.

With reference to the above subject, we confirm, we got the permission for diversion of 4.70 HA of forest land for construction of Mahan Small Hydro Project III on Mahan River near Chikini Village, Odigi Taluk, Surajpur District, Chhattisgarh State vide the referenced stated above. We are enclosing above referred correspondence for your ready reference. We are constructing this project on the alloted Forest Land and no revenue land ise involved in the project Area.

Kindly do the needful & oblige..

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Venika hydro Projects Private limited,

P. Kamath
Head Projects

Mahan – III "CHANDRA SJR"

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rocfbhopal@gmail.com

क्रमांक : 6-CHB178/2008-BHO/ 2936 दि0 03-12-2008

प्रति,

प्रधान सचिव,
वन एवं संस्कृति विभाग,
डी0के0 भवन, रायपुर
(छत्तीसगढ़) ।

विषयः सरगुजा जिले के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र घुई संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 219 (नया) में 4.70 हे0 वनभूमि 24.75 मेगावाट महान–3 लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु मेसर्स वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को उपयोग पर देने बाबत् ।

महोदय,

कृपया राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के उक्त विषयक पत्रांक एफ–5–87/08/10–2 दिनांक 18/11/2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था।

राज्य शासन के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात केन्द्र सरकार की ओर से 4.70 हे0 वनभूमि 24.75 मेगावाट महान–3 लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु मेसर्स वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर सिद्धान्ततः सहमति दी जाती है:–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 4.70 हे0 गैर वनभूमि (खसरा क्रमांक 23, ग्राम–वनगवां, तहसील–ओढ़गी, जिला–सरगुजा पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
ब) इस गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित व नामांकित किया जायेगा ।
स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके ।

4.(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008 व 09/05/2008 के अनुसार, तथा मंत्रालय के पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(पार्ट–II) दिनांक 18/09/2003 के साथ इससे संबंधित पत्रांक 5–2/2006–एफसी दिनांक 03/10/2006 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य शासन, उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 4.70 हे0 क्षेत्र की वनभूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी ।

.....2

(ब). विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि राज्य शासन द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जायेगी । उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा ।

5. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को केम्पा (CAMPA) के कार्पोरेशन बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस–I, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में स्थित खाता संख्या CA 1591 में हस्तांतरित की जायेगी ।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जायेगी ।

7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा शर्त संख्या 2(ब) 3, 4 एवं 5 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर,इस प्रकरण का वन (संरक्षण)अधिनियम, 1980 की धारा –2 के अन्तर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

जब तक यह कार्यालय औपचारिक अनुमोदन न कर दे, राज्य सरकार द्वारा उपयोगकर्ता को वन भूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जाये ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़, जेल रोड, रायपुर ।
3. वनमंडलाधिकारी, उत्तर सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा,, छत्तीसगढ़ ।
4. मेसर्स वैनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड, जे–4, सेक्टर–2, अवंति विहार रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
5. आदेश पत्रावली ।

(प्रदीप वासुदेव)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांकः 6-CHB 178/2008-BHO/ 272

दि0-09-02-2010,

प्रति,

प्रधान सचिव,
वन एवं संस्कृति विभाग,
डी0के0 भवन, रायपुर
(छत्तीसगढ़) ।

विषयः सरगुजा जिले के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र धुई संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी 219 (नया) में 4.70 हे0 वनभूमि 24.75 मेगावाट महान–3 लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु मेसर्स वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–सीएचबी 178 / 2008–बीएचओ / 2936 दिनांक 03 / 12 / 2008
2 मु0व0सं0(भू–प्रबंध),एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ का पत्रांक भू–प्रबंध / विद्युत / 10 / 140 दिनांक 29 / 01 / 2010

महोदय,

कृपया छत्तीसगढ़ शासन के उक्त विषयक पत्रांक एफ–5–67 / 08 / 10–2 दिनांक 18 / 11 / 2008 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से 4.70 हे0 वनभूमि 24.75 मेगावाट महान–3 लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु मेसर्स वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता हैः–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 4.70 हे0 गैर वनभूमि (खसरा क्रमांक 23, ग्राम–वनगवां, तहसील–ओड़गी, जिला–सरगुजा) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।
   ब) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।
   स) इस गैर वनभूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत जारी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

...2

3. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि केम्पा (CAMPA) को कार्पोरेशन बैंक, ब्लाक 11, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेस–I, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में स्थित खाता संख्या CA 1591 में हस्तांतरित की जायेगी ।

4. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना, 2006 के अन्तर्गत यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से स्वीकृति की आवश्यकता हो तो स्वीकृति ली जायेगी ।

5. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

6. ~~वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।~~

7. राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त । अतिरिक्त शर्त लगाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेवा)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः

1. उप सचिव(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़, जेल रोड, रायपुर ।
3. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सरगुजा वनमण्डल, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।
4. मेसर्स वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रायवेट लिमिटेड, जे–4, सेक्टर–2, अवंति विहार रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
5. आदेश पत्रावली ।

(प्रदीप वासुदेवा)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)